न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(कैलाश चन्द्र शर्मा,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

(29)

प्रकरण संख्या 01/2019
प्रविष्टि दिनांक 17.01.2018

मांगीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड निवासी मुगलाना तहसील दूनी जिला टोंक
—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार दूनी जिला—टोंक राजस्थान
—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार दूनी दिनांक 24.12.2018 धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री बंसती लाल चौधरी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 06.03.2019**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दूनी ने अपने आदेश दिनांक 24.12.2018 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 1477 रकबा 0.01 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम मुगलाना पर पश्चातवर्ती अतिकमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार दूनी के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व कोई नोटिस नही दिया गया और नोटिस पर अपीलांट की व्यक्तिशः तामील नही करवाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नही दिया गया है। अपीलांट 85 वर्ष का अतिवृद्व व्यक्ति है जिसके द्वारा किसी भूमि पर अतिकमण करना तो दूर, वह स्वंय का नित्यकर्म करने की स्थिति मे भी नही है। अपीलांट के गांव का जो उचित मूल्य दुकानदार है उससे अपीलांट की पुरानी रंजिश है और रंजिशवश वह अपीलांट के विरूद्व उक्त भूमि बाबत अतिकमण की झूठी शिकायत करता रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व मौका निरीक्षण नही किया गया है और न ही अपीलांट की जिरह पटवारी हल्का से करवाई गई है। अपीलाण्ट ने कब्जा हटाने व भविष्य मे कब्जा नही करने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

(21)

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अतिक्रमी राजकीय भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है,उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होंता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम मुगलाना के खसरा नम्बर 1477 रकबा 0.01 है0 भूमि पर बाडा बनाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट ने शपथ पत्र पेश किया है कि मैने उक्त भूमि पर से कब्जा हटा लिया है तथा भविष्य मे अतिक्रमण नहीं करूॅगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.12.2018 द्वारा अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर अपास्त की जाती है कि अपीलाण्ट द्वारा शास्ती राजकोष मे जमा करादी है तथा अपीलाण्ट ने अतिक्रमित भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया है। तहसीलदार दूनी यह सुनिश्चित करले की अपीलाण्ट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं है। यदि अपीलाण्ट अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा नहीं हटाता है या पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner